



कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक 285 / पं./स्व.भा.मि.(ग्रा.)/PWMU/2024-25 दिनांक 29 अप्रैल, 2025
सहायक विकास अधिकारी (पं०),

विकास खण्ड-हाथरस एवं सहपऊ
जनपद-हाथरस।


विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्र संख्या-3039/पं./स्व.भा.मि.(ग्रा.)/PWM/2024-25 दिनांक 13 फरवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों से विकास खण्ड द्वारा निर्धारित किये गये रूट चार्ट के अनुसार प्लास्टिक को एकत्रित कर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तक पहुँचाने के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी.आई.यू. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एटा के पत्र संख्या-28/पी.रिन्यूअल/2024-25 दिनांक 19 अप्रैल, 2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग हेतु लगभग 8.30 टन श्रेडेड वेस्ट प्लास्टिक की माँग की गई है। जिसके क्रम में जनपद में स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में अपशिष्ट प्लास्टिक हेतु निम्नानुसार विकास खण्ड निर्धारित किये जाते हैं-

स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट	सम्बद्ध विकास खण्ड
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट मकनपुर, सहपऊ	सहपऊ, सादाबाद, मुरसान
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट राजपुर, हाथरस	हाथरस, सासनी, हसायन एवं सिकन्दराराऊ

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विकास खण्ड के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में उपलब्ध प्लास्टिक को निर्धारित साइज (600 माइक्रोन से 2.36mm के मध्य) को श्रेडेड कराते हुए अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी.आई.यू. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एटा को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए माँग के अनुसार प्लास्टिक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(सुबोध जोशी) 29 APRIL 2025
जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

पत्रांक व दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस को सादर अवलोकनार्थ।
3. मण्डलीय उपनिदेशक (पं०) महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-हाथरस।



5. समस्त जिला कन्सल्टेन्ट, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जनपद-हाथरस को अनुपालनार्थ।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०), जनपद-हाथरस को इस निर्देश के साथ अपने-अपने विकास खण्ड के समस्त ग्राम पंचायत से प्लास्टिक एकत्र कराने एवं वेयर हाउस में एकत्रित प्लास्टिक वेस्ट को सम्बद्ध किये गये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में भेजना सुनिश्चित करें।
7. समस्त खण्ड प्रेरक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जनपद-हाथरस को अनुपालनार्थ।
8. ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत-राजपुर, विकास खण्ड-हाथरस, जनपद-हाथरस।
9. ग्राम प्रधान/ सचिव ग्राम पंचायत-मकनपुर, विकास खण्ड-सहपऊ, जनपद-हाथरस।
10. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत, जनपद-हाथरस को सहायक विकास अधिकारी (पं०) के माध्यम से अनुपालनार्थ।
11. समस्त सफाई कर्मी, जनपद-हाथरस को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के दौरान अपशिष्ट प्लास्टिक (पॉलीथीन, चिप्स के खाली पैकेट, पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल आदि) संग्रहण कर ग्राम पंचायत में निर्मित आर.आर. सी. केन्द्र पर एकत्रित करना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।



कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक 285 / पं./स्व.भा.मि.(ग्रा.)/PWMU/2024-25 दिनांक 29 अप्रैल, 2025
सहायक विकास अधिकारी (पं0),

विकास खण्ड-हाथरस एवं सहपऊ

जनपद-हाथरस।

विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्र संख्या-3039/पं./स्व.भा.मि.(ग्रा.)/PWM/2024-25 दिनांक 13 फरवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों से विकास खण्ड द्वारा निर्धारित किये गये रूट चार्ट के अनुसार प्लास्टिक को एकत्रित कर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट तक पहुँचाने के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी.आई.यू. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एटा के पत्र संख्या-28/पी.रिन्व्यूअल/2024-25 दिनांक 19 अप्रैल, 2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग हेतु लगभग 8.30 टन श्रेडेड वेस्ट प्लास्टिक की माँग की गई है। जिसके क्रम में जनपद में स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में अपशिष्ट प्लास्टिक हेतु निम्नानुसार विकास खण्ड निर्धारित किये जाते हैं-

स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट	सम्बद्ध विकास खण्ड
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट मकनपुर, सहपऊ	सहपऊ, सादाबाद, मुरसान
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट राजपुर, हाथरस	हाथरस, सासनी, हसायन एवं सिकन्दराराऊ

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विकास खण्ड के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में उपलब्ध प्लास्टिक को निर्धारित साइज (600 माइक्रोन से 2.36mm के मध्य) को श्रेडेड कराते हुए अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी. आई.यू. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एटा को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए माँग के अनुसार प्लास्टिक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(सुबोध जोशी)

जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।


पत्रांक व दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस को सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस को सादर अवलोकनार्थ।
3. मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-हाथरस।



5. समस्त जिला कन्सल्टेन्ट, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जनपद-हाथरस को अनुपालनार्थ।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०), जनपद-हाथरस को इस निर्देश के साथ अपने-अपने विकास खण्ड के समस्त ग्राम पंचायत से प्लास्टिक एकत्र कराने एवं वेयर हाउस में एकत्रित प्लास्टिक वेस्ट को सम्बद्ध किये गये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में भेजना सुनिश्चित करें।
7. समस्त खण्ड प्रेरक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जनपद-हाथरस को अनुपालनार्थ।
8. ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत-राजपुर, विकास खण्ड-हाथरस, जनपद-हाथरस।
9. ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत-मकनपुर, विकास खण्ड-सहपऊ, जनपद-हाथरस।
10. समस्त ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत, जनपद-हाथरस को सहायक विकास अधिकारी (पं०) के माध्यम से अनुपालनार्थ।
11. समस्त सफाई कर्मी, जनपद-हाथरस को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के दौरान अपशिष्ट प्लास्टिक (पॉलीथीन, चिप्स के खाली पैकेट, पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल आदि) संग्रहण कर ग्राम पंचायत में निर्मित आर.आर. सी. केन्द्र पर एकत्रित करना सुनिश्चित करें।


जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।